न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/39/2025	10.03.2025	30.04.2025

1– औमप्रकाश पुत्र निंरजनलाल निवासी ग्राम बीरनवास तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1– मौहित,
2– रोहित पुत्रान सुभाषचन्द,
3– सुशीला पत्नि सुभाषचन्द निवासी ग्राम बीरनवास तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
4– अजय कुमार,
5– राजकुमार पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम बीरनवास तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) हाल निवासी समयपुर तहसील व जिला गुरूग्राम (हरियाणा)
6– संतरा देवी पत्नि रामेश्वर निवासी ग्राम बीरनवास तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
7– संतोष पत्नि जगदीश चन्द
8– महेशचन्द,
9– दिनेश,
10–विक्रान्त पुत्रान जगदीश चन्द निवासी ग्राम बीरनवास तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
11–गायत्री पुत्री मुसदी निवासी ग्राम बीरनवास हाल पत्नि कैलाश निवासी हुलमाना खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
12–गीता पुत्री मुसदी निवासी ग्राम बीरनवास हाल पत्नि ब्रहमदत्त निवासी अलवर।
13–राधेश्याम
14–अंगूरी पुत्री निंरजन निवासी ग्राम बीरनवास हाल पत्नि जगदीश गौड निवासी अलवर।
15–रोशनीदेवी पुत्री निंरजन निवासी ग्राम बीरनवास हाल पत्नि हरिश निवासी अलवर।
16–राजबाला पुत्री निंरजन निवासी ग्राम बीरनवास हाल पत्नि रविन्द्र निवासी सी–सिकन्दरपुर गुरूगाम हरियाणा
17–सुमनलता पुत्री निंरजन निवासी ग्राम बीरनवास हाल पत्नि सुरेन्द्र निवासी सी–सिकन्दरपुर गुरूगाम हरियाणा
18–राजस्थान सरकार जिरिये तहसीलदार कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
19–उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री इन्द्रजीत सिंह –वकील प्रार्थी

02. श्री डी.सी.यादव –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली औमप्रकाश बनाम मोहित राजस्व वाद संख्या 333/2024 को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा न0 295/154 रकबा 1.52 है0, 201 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम बीरनवास तहसील कोटकासिम की बाबत दावा इश्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती बमय हुक्मइम्तनाई दवामी दायर किया हुआ है। जिसमे स्थगन आदेश जारी है। मिन प्रार्थी के द्वारा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्व दायर किया है, वो राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है, जो पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम से साजबाज हो गये है, जिन्हे कई बार उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में आते जाते देखा है। तथा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा मिन प्रार्थी को ऐलानिया तौर पर धमकी दी जा रही है, कि उपखण्ड अधिकारी से साठगाठ कर ली है, तथा वाद खारिज कराकर रहेगे। मिन प्रार्थी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम से निष्पक्ष व सही न्याय मिलने की उम्मीद नही है। मिन प्रार्थी बहुत दुखी है, और प्रार्थी को सही न्याय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम से मिलने की दूर-दूर तक उम्मीद नही है। प्रार्थी के वाद को जिले के किसी भी न्यायालय में सुनवाई हेतु भेज दिया जावे। तथा जब तक मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का निस्तारण न्यायालय हाजा नही करे तब तक तहत अदालत की कार्यवाही को स्थगन द्वारा रोका जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के यहा विचाराधीन राजस्व वाद में अप्रार्थीयान के विरूद्व एकतरफा में स्थगन आदेश प्रार्थी द्वारा दिनाक 22.07.2024 को प्राप्त किया गया है। कानूनन आदेश 39 नियम 3 ए के अनुसार एकतरफा में जारी स्थगन आदेश का निस्तारण एक माह में किये जाने का प्रावधान है, जबकि उक्त प्रकरण में जारी स्थगन आदेश किये हुऐ करीब आठ माह से उपर का समय निकल चुका है, जारी स्थगन आदेश में भी कन्डीशन लगाई हुई है। दावे में अभी तनकीयात भी नही बनी है, तो दावा खारिज कराने की धमकी देना अपने आप में ही मिथ्या साबित हो जाती है। उनवानी प्रकरण में हमारी ओर से हर तारीख पैशी पर अभिभाषक उपस्थित होते है। प्रार्थना पत्र में तथ्य मिथ्या दर्ज किये गये है, पीठासीन अधिकारी कोटकासिम निष्पक्ष भाव से कार्यवाही कर रही है, प्रार्थी इकतरफा में प्राप्त स्थगन आदेश को लिंगर ऑन करने की नियत से बहस नही करना चाहते व हर तारीख पैशी पर बहाना बाजी करके तारीख प्राप्त कर लेते है। प्रार्थी द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज किया जावे। विद्वावान वकील अप्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालय की निम्न नजीरे पेश की गयी। आर.बी.जे (27) 2020 पेज संख्या 526, आर.बी.जे (28) 2021 पेज संख्या 757, आर.बी.जे (28) 2021 पेज संख्या 456

प्रार्थी वकील द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दूओ पर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम से जवाब तलब किया गया। तहत अदालत ने जर्ये पत्राक 136 दिनाक 18.03.2025 के द्वारा बिन्दूवार जवाब पेश करते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को नकारते हुयें निवेदन किया है, कि यदि वाद को सुनवाई हेतु अन्य राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जाता है, तो इस न्यायालय को कोई ऐंतराज/आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना-पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न दस्तावेज/वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से जाहिर है, कि तहत अदालत के समक्ष वादी/(प्रार्थी) औमप्रकाश द्वारा राजस्व वाद संख्या 333/2024 बअनुवान औमप्रकाश बनाम मोहित धारा अन्तर्गत 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनाक 22.07.2024 को पेश किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जर्ये नोटिस तलब किया गया, दिनाक 13.08.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 व 7 जर्ये अधिवक्ता उपस्थित हुये। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 की और से जवाब दावा पेश किया गया। प्रकरण में ऑडर 1 रूल 10 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब व शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत की गयी। दिनाक 27.02.2025 को उसके बाद दिनाक 03.03.2025 को प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित टाईटल पेश करने हेतु पत्रावली नियत की गयी। इसी प्रकार राजस्व वाद के साथ पेश किया गया प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज कर वादी/(प्रार्थी) वकील की एक पक्षीय बहसी सुनी जाकर पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात एवं शपथ पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास करते हुऐ प्रथम द्वष्टया मामला एंव सुविधा का संतुलन वादी/(प्रार्थी) के हक में प्रतीत होने पर

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्टान/(अप्रार्थीयान) को अन्तरिम अस्थाई निषेआज्ञा पाबन्द किया गया है। जिसका अप्रार्थीयान द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जरिये अभिभाषक जवाब पेश किया गया है। जिसकी विधिवत कार्यवाही जेरकार है। इससे स्पष्ट है, कि तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानुसार विधिवत कार्यवाही की जा रही है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणो से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नही किया जाना चाहिये क्योकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है, एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है, किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालत की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पडता है, जो न्यायहित में उचित नही है। प्रार्थी उक्त प्रकरण को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के आधार पर अनावश्यक विलमंबित बनाये रखने की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)